भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 254

(21 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

वीबी-जी राम जी योजना में परिवर्तन करना

254. श्री राजकुमार रोत:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) निधि को वीबी-जी राम-जी में रूपांतरण के लिए स्वीकृत कार्यों का ब्यौरा और ऐसे रूपांतरण को नियंत्रित करने वाले नियमों/दिशानिर्देशों तथा अनुमेय कार्यों की सूची क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान मनरेगा/वीबी-जी राम-जी के तहत स्वीकृत बजट का ब्यौरा क्या है;

(ग) आवंटित और उपयोग किए गए बजट का राजस्थान सहित राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार वीबी-जी राम-जी योजना के तहत संलग्न ठेकेदारों और श्रमिकों को सामग्री घटक के बजाय श्रम घटक से भुगतान करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(च) बांसवाड़ा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में सामग्री घटक और श्रम घटक के तहत लंबित भुगतानों का ब्यौरा क्या है और ऐसे लंबित भुगतानों का संदाय कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क): विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम, 2025, 1 जुलाई, 2026 से लागू हो गया है और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में योजना का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है।

इस अधिनियम की अनुसूची I के पैराग्राफ 5 के अनुसार, अभिसरण और संतृप्ति-आधारित योजना के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सभी केंद्रीय, राज्य और स्थानीय योजनाओं को विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं (वीजीपीपी) में मुख्य एकीकृत योजना प्रक्रिया के तहत लाया जाना है। इस अधिनियम में यह भी परिकल्पना की गई है कि वीजीपीपी में पहचाने गए कार्यों को ऐसी अधिसूचित योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से कार्यान्वित किया जा सकता है।

इन प्रावधानों के अनुपालन में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अभिसरण ढांचे को संचालित करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सहित भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ परामर्श शुरू किया है। अभिसरण के लिए पात्र योजनाओं की पहचान, परिचालन पद्धतियां और कार्यान्वयन दिशानिर्देशों सहित अवसंरचना को वर्तमान में अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ख): पिछले पांच वित्तीय वर्षों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत बजट अनुमान चरण, संशोधित अनुमान चरण, अंतिम आवंटन स्तर पर निधियों के आवंटन का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	अंतिम आवंटन
2021-22	73000.00	98000.00	99118.00
2022-23	73000.00	89400.00	90956.00
2023-24	60000.00	86000.00	89363.00
2024-25	86000.00	86000.00	86000.00
2025-26	86000.00	88000.00	88000.00

(ग): महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग-आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है, जिसके तहत रोजगार की मांग, कार्यान्वयन की गति और निधियों की उपलब्धता के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती है। इस योजना के तहत कोई राज्य-वार या जिला-वार बजट आवंटन नहीं किया गया था।

तदनुसार, मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती है, और जिलों को सीधे कोई निधियां जारी नहीं की गई थी। पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों(राजस्थान सहित) को जारी की गई निधियों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ) और (ङ): विकसित भारत - रोजगार की गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम, 2025 के तहत, इस योजना में लगे श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित है।

अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, इस योजना के तहत नियोजित अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल श्रमिकों को देय मजदूरी का भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, मजदूरी घटक से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में भूगतान किया जाता है।

इसके अलावा, अधिनियम की अनुसूची I का पैरा 21 स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि अधिनियम के तहत वित्तपोषित किसी भी कार्य या घटक के निष्पादन के लिए किसी ठेकेदार को नियुक्त नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी कार्यों को अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार नामित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा सीधे निष्पादित किया जाना आवश्यक है।

(च): प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, पिछले वित्तीय वर्ष की स्वीकार्य लंबित मजदूरी देयता, यदि कोई हो, तो भारत सरकार द्वारा विधिवत निपटाया जाता हैं। तदनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 तक बांसवाड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित, राजस्थान राज्य की सभी देय और स्वीकार्य लंबित मजदूरी देयताओं का निपटान कर दिया गया है।

सामग्री घटक के संबंध में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्धारित दस्तावेजों के साथ निधि जारी करने के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। कार्यों की मांग, शेष राशि, निधियों के उपयोग की गति, लंबित देनदारियों, समग्र निष्पादन और निर्धारित शर्तों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं। भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियों से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों और विक्रेताओं को सामग्री का भुगतान किया जाता है।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में इस योजना के तहत किए गए व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	2025-26	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22
सामग्री और कुशल मजदूरी (रु. लाख में)	10,795.88	12,335.33	9,373.98	18,749.82	13,435.98

नरेगा सॉफ्ट के अनुसार

लोकसभा में दिनांक 21.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 254 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (राजस्थान सहित) को जारी की गई राज्यवार निधियां।

क्र.सं.	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई निधियां (रुपए करोड़ में)				
		2025-26	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22
1	आंध्र प्रदेश	7607.09	7707.21	7353.67	8008.81	7195.81
2	अरुणाचल प्रदेश	665.58	560.70	427.35	578.32	453.74
3	असम	1974.24	1929.70	2221.38	2056.49	2223.32
4	बिहार	8169.50	6715.83	6200.03	6402.23	5407.37
5	छत्तीसगढ़	2971.66	3354.85	2895.12	3420.39	3894.34
6	गोवा	2.98	3.70	0.88	5.05	0.04
7	गुजरात	999.56	1540.54	1802.26	1694.60	1615.24
8	हरियाणा	487.57	590.19	477.87	373.99	723.73
9	हिमाचल प्रदेश	1057.55	1203.28	1000.96	1164.85	976.34
10	जम्मू और कश्मीर	1720.27	1151.20	921.60	1051.00	950.14
11	झारखंड	3203.45	2705.64	2922.27	2719.03	3067.88
12	कर्नाटक	3592.65	5709.90	5431.67	6218.59	6034.89
13	केरल	3745.44	3136.44	3532.57	3830.97	3554.85
14	मध्य प्रदेश	5390.23	6252.03	5891.65	5707.47	8479.09
15	महाराष्ट्र	7519.55	4420.32	3041.48	2545.89	2056.46
16	मणिपुर	1146.56	581.99	0.95	1086.63	563.11
17	मेघालय	1249.23	1155.09	913.86	1118.77	1123.32
18	मिज़ोरम	661.83	611.65	507.96	540.40	550.51
19	नागालैंड	416.19	287.85	641.50	839.76	570.56
20	ओडिशा	4005.15	3763.80	4906.78	4707.52	5687.28
21	पंजाब	1060.69	1331.61	1169.84	1182.14	1259.20
22	राजस्थान	7221.92	7581.87	8683.98	9648.65	9867.75
23	सिक्किम	112.57	97.57	112.19	92.71	112.79
24	तमिलनाडु	8151.68	7585.49	12616.53	9745.72	9648.36
25	तेलंगाना	2856.99	3825.31	3520.87	2992.21	4116.10
26	त्रिपुरा	837.17	1041.70	1043.59	925.34	990.14
27	उत्तर प्रदेश	9437.47	9721.48	9844.25	10650.64	8525.15

28	उत्तराखंड	498.02	626.43	553.81	792.66	642.60
29	पश्चिम बंगाल *	0.00	0.00	0.00	1.33	7507.80
30	अंडमान और निकोबार	3.52	4.44	0.00	9.60	7.68
31	दादरा और नगर हवेली दमन और दीव	9.75	9.02	2.21	0.00	0.00
32	लक्षद्वीप	0.00	0.32	0.00	24.95	0.30
33	पुदुचेरी	40.03	40.56	58.77	69.00	13.07
34	लद्दाख	80.37	85.98	62.64	1.62	59.04
कुल		86896.47	85333.70	88760.50	90207.30	97878.01

*राज्य द्वारा केंद्र सरकार के निर्देशों का निरंतर अनुपालन न करने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधानों को लागू करते हुए दिनांक 09.03.2022 से पश्चिम बंगाल राज्य को महात्मा गांधी नरेगा के तहत निधियां जारी करना बंद कर दिया गया था। इसलिए, पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान राज्य को कोई निधि जारी नहीं की गई थी।

राज्य सरकार द्वारा किए गए अनुरोध और उसके बाद दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, योजना का कार्यान्वयन 01.06.2026 से फिर से शुरू किया गया है और तदनुसार, जून 2026 के महीने के लिए श्रम बजट को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, 01.07.2026 से राज्य में वीबी-जी राम जी के कार्यान्वयन पर आवश्यक मानक आवंटन किया गया है और निधि जारी करने के लिए मूल स्वीकृति भी जारी की गई है।